भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश–फलक)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (ए) के अर्न्तगत

आर0पी0 वाद संख्या–09 / 2016–17

केश का प्रकार :– भू वापसी

श्री जगत हाँसदा, पिता–स्व0 होपना हाँसदा उर्फ माझी एवं अन्य–02 .. आवेदकगण

–बनाम–

श्री बड़ो हेम्ब्रम उर्फ कोन्दा हेम्ब्रम, पिता–स्व0 सुराई हेम्ब्रम एवं अन्य–02 ......विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
05/10/2017		

यह वाद श्री जगत हाँसदा, (2) श्री अमर हाँसदा, (3) श्री घानीराम हाँसदा तीनों के पिता–स्व0 होपना हाँसदा, निवासी ग्राम–देवली, थाना–गालुडीह, अंचल–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–11, दिनांक–04 / 01 / 2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
पैरागुड़ी	1248	29	1122	0.85 ए0
			1123	0.09 ए0
			कुल रकवा–	0.94 एकड़

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–27 / 07 / 2017 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रश्नगत भूमि विविध वाद संख्या–131 / 1970–71 धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त कर बिक्रय केवाला संख्या–1137, दिनांक–11 / 08 / 1971 द्वारा खतियानी रैयत के पुत्र श्यामलाल सिंह, पिता–स्व0 उपेन्द्र सिंह से भूमि को आवेदक के पिता होपना माझी एवं अन्य–03 को प्राप्त है। जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या–177 / 1978–79 हैं। विपक्षी उक्त भूमि पर वर्ष–2007 से अवैध रूप से दखल एवं कब्जा किये हुए हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 CNT Act. के तहत किसी भी तरह से प्रश्नगत भूमि विपक्षी के नाम पर हस्तांतरण नहीं हुआ हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में बताया गया कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ false दायर किया गया हैं तथा Point of

Law or तथ्यात्मक बिन्दुओं को Maintainable नहीं करता हैं।

(A) प्रशनगत भूमि मौजा–पैरागुड़ी, थाना नं0–1248, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–1122 एवं 1123 रकवा–0.85 ए0 एवं 0.09 ए0 कुल रकवा–0.94 एकड़ भूमि से संबंधित हैं।

(B) प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट 1964 के खतियान में खाता नं0–29 उपेन्द्र सिंह, पिता कान्हाई सिंह के नाम पर दर्ज हैं।

(C) खतियानी रैयत उपेन्द्र सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्यामलाल सिंह प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्वक दखल में रहें एवं प्लॉट नं0–1122, रकवा–0.77 ए0 एवं प्लॉट नं0–1123 रकवा–0.09 ए0 कुल रकवा–0.86 एकड़ भूमि नादाबीनामा दलिल संख्या–4561, दिनांक–11/04/1974 द्वारा सुराई माझी उर्फ हेम्ब्रम पिता–कुनुर माझी उर्फ हेम्ब्रम, ग्राम–देवली को हस्तांतरण किया गया हैं। विपक्षी द्वारा उक्त जमीन पर उनके पिताजी के समय से ही शांति पूर्वक खेती करते आ रहें हैं।

(D) विपक्षी प्रश्नगत भूमि का कहीं भी किसी भी समय आवेदक से छल प्रपंच के माध्यम से नहीं लिया हैं। जिसके कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71(A) इस वाद में लागु नहीं होगा।

(E) विपक्षी द्वारा आपने कारण–पृच्छा में बताया गया है कि खतियानी रैयत के पुत्र श्री श्यामलाल सिंह द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया है। शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उन्होंने प्रथम पक्ष के पिता करन माझी, बुसकु माझी, टिबूराम माझी, एवं होपना माझी सभी के पिता–लेबो माझी को जमीन बिक्री नहीं किया गया हैं।

(F) प्रथम पक्ष की ओर से जालसजी कर बिक्री केवला दलील को तैयार किया गया है तथा उक्त जाली दस्तावेज के आधार पर विपक्षी द्वारा शांति पूर्वक दखल जमीन को अपने पक्ष में दखल दिलाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि वापसी वाद दयार किया गया हैं।

(G) विपक्षी उक्त जमीन पर विगत 30 वर्षो से जोत आबाद करते आ रहे हैं। यह वाद सिविल कोर्ट का मामला हैं।

अतः आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित तथ्य सामने आयाः–

(1) प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में उपेन्द्र सिंह, पिता–कन्हाई सिंह, जाति–भूमिज के नाम पर दर्ज हैं।

(2) प्रश्नगत भूमि पंजी–II में (i) कारू माझी (ii) भुसकु माझी (iii) टिबुराम माझी, (iv) होपना माझी, सभी के पिता–लेबो माझी, सा0–देवली के नाम से दर्ज हैं।

(3) प्रश्नगत भूमि पर (1) बड़ो हेम्ब्रम उर्फ कोंदा हेम्ब्रम (2) कुँआर हेम्ब्रम (3) दारा सिंह हेम्ब्रम सभी के पिता–स्व0 सुराई हेम्ब्रम, सा0–देवली का लगभग 38–40 वर्षो से दखल में हैं।

(4)दखलकार द्वारा भूमि संबंधि कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

(5) प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि हैं।

(6) प्रश्नगत भूमि मौजा–पैरागुड़ी, थाना नं0–1248, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–1122 एवं 1123, रकवा–0.85 ए0 एवं 0.09 ए0 कुल रकवा–0.94 एकड़ जमीन से संबंधित हैं।

(7) प्रश्नगत भूमि बिक्री केवला संख्या–8137, दिनांक–11/08/1971 के माध्यम से बिक्रेता श्यामलाल सिंह, पिता–उपेन्द्र सिंह से खरीदा हुआ भूमि है। जिसका नामान्तरण वाद संख्या–177/1978–79 द्वारा उक्त भूमि काश माझी, भुसकु माझी, टिबुराम माझी, एवं होपना माझी, सभी के पिता–लिबो माझी क नाम से स्वीकृत होकर लगान रसीद वर्ष–2015–16 तक अद्यतन हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला, के जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख में संलग्न कागजात एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूनने के पश्चात निम्नांकित तथ्यों को पायाः–

(1) प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में उपेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 कन्हाई सिंह के नाम पर दर्ज हैं। जो सही हैं।

(2) धारा–46 छोटानागपुर काश्तगारी अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त कर बिक्रय केवाला संख्या–1137, दिनांक–11/08/1971 द्वारा खतियानी रैयत के पुत्र श्यामलाल सिंह, पिता–स्व0 उपेन्द्र सिंह से आवेदक के पिता होपना माझी एवं अन्य–03 के द्वारा खरीदा हुआ जमीन हैं। जिसका नामान्तरण मुकदमा सं0–177/78–79 हैं। प्रश्नगत भूमि पंजी–II में आवेदकगण के पिता–होपना माझी, कारू माझी, भुसकु माझी, टिबुराम माझी, सभी के पिता–लेबो माझी, सा0–देवली के नाम पर दर्ज हैं, जो सही हैं।

(3) आवेदक प्रश्नगत भूमि के पंजी–II रैयत होपना माझी एवं अन्य–03 के पुत्रगण हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद वर्ष–2015–16 संलग्न किंया गया हैं, जो सही हैं।

(4) प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण बड़ो हेम्ब्रम उर्फ कोन्दा हेम्ब्रम, कुँवार हेम्ब्रम, दारा सिंह हेम्ब्रम (सभी) के पिता–स्व0 सुराई हेम्ब्रम कों धारा–46 छोटानागपुर

काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त किये बिना ही नादाबीनामा दलिल संख्या–4561, दिनांक–11/04/1974 के माध्यम से भूमि का भूमि का हस्तांतरण किया गया हैं, जो अवैध है।

(5) प्रश्नगत भूमि का द्वितीय पक्ष का हस्तांतरण वैधिक नहीं हैं। भूमि का हस्तांतरण अवैध रुप से हुआ हैं। जिसमें CNT Act.-46 का उल्लंधन हुआ हैं।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के तहत आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता हैं कि विवादित भूमि प्रथम पक्ष को दखल कब्जा सौंप दें। तदनुसार अंचल अधिकारी, घाटशिला को दखल दिहानी का परवाना निर्गत करें।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपात्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

5/x/2017   5/x/2017

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।   भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।

c.c. of last order is issued on dated 09.11.17
09/11/17

c.c. of last order, 1st last order and Dakhal Dihani is issued on dated 20.12.17
20/12/17

Digitally signed by Satyabeer Rajak
Date: 2022.06.03 15:51:00 +05:30
Location: 10.93.122.138